



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2012-वैशाख 28, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ललिता गौतम पति श्री प्यारे सिंह गौतम वर्तमान निवासी वार्ड नं. 1, भटेरा चौकी, बालाघाट. यह कि गत 2 जून, 1994 में पारम्परिक रीति रिवाजों के मुताबिक मेरा विवाह श्री प्यारे सिंह गौतम के साथ सम्पन्न हुआ है. विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी कौशल्या बिसेन पिता श्री थानसिंह बिसेन था और यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक एवं शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों में दर्ज है. अब चूँकि मेरा विवाह हो चुका है, विवाह उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती ललिता गौतम पति श्री प्यारे सिंह गौतम हो गया है. अतः अब मुझे मेरे परिवर्तित नाम से ही जाना, पहचाना जाये और मेरा यही परिवर्तित नाम मेरे समस्त अभिलेखों में उल्लेखित किया जाये.

पुराना नाम :

(कौशल्या बिसेन)

पिता श्री थानसिंह बिसेन

(31-बी.)

नया नाम :

(ललिता गौतम)

पति श्री प्यारे सिंह गौतम,
C/o श्री प्यारे सिंह गौतम,
सिविल कोर्ट, बालाघाट,
जिला बालाघाट (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम मासूम गर्ग पुत्र श्री संजय गर्ग था तथा यही नाम मेरा शासकीय व अशासकीय कार्यालयों में अंकित है, अब मैंने अपना नाम परिवर्तित करके तनिश गर्ग रख लिया है, अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(मासूम गर्ग)

(33-बी.)

नया नाम :

(तनिश गर्ग)

निवासी—दौलतगंज, लश्कर,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि रेल्वे विभाग में मेरा नाम सुम्मा पुत्र दोजी त्रुटिवश अंकित हो गया है. मैं, रेल्वे विभाग में यूनिट नम्बर-27 में SSE (PWAY) BAQ W.C.R. के अधीन की मैं के पद पर पदस्थ हूँ, जबकि मेरा वास्तविक सही नाम सोमत पुत्र दोजा है, जोकि मेरे अन्य अभिलेखों में भी अंकित है. अतः भविष्य में मुझे सोमत पुत्र दोजा के नाम से ही जाना व पहचाना जावे तथा मेरे सभी शासकीय अभिलेखों में मेरा सही नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :

(सुम्मा)

पुत्र दोजी

नया नाम :

(सोमत)

पुत्र दोजा

ग्राम पुरवाई, तहसील गंजबासौदा,

जिला विदिशा (म.प्र.).

(32-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 4 मई, 2012

(लेखन एवं अन्य सामग्री)

क्र. जी.बी. चार/स्टे. (1) 2012-13/1633.—मध्यप्रदेश शासन के विभागों के उपयोग में आने वाले लेखन एवं अन्य सामग्री की क्रय हेतु सीधे निर्माता या उनके अधिकृत एजेन्ट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से निविदा मुहरबंद तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा (पृथक्-पृथक् लिफाफों में) आमंत्रित की जाती है.

2. टेण्डर फॉर्म, निविदा की शर्तें एवं अनुबंध का प्रारूप मध्यप्रदेश शासन के वेबसाइट www.tenders.gov.in. एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध है.

3. टेण्डर फॉर्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 6 जून, 2012 को कार्यालयीन समय अपराह्न 1.00 बजे तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जानी होंगी. निविदा का टेक्निकल टेण्डर उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक 6 जून, 2012 को अपराह्न 3.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी.

(235)

Bhopal, dated 04th May, 2012

(Stationery & other Articles)

No. GB-IV-Sty.(1)2012-13/1633.—Sealed Tenders Technical & Commercial (seperately) are invited for the supply of Stationery & other Articles which has to be used for the different departments of Madhya Pradesh Government from manufacturers, their representative or dealer/distributors.

2. The details of the tender documents, terms of tender and the draft of the agreement are available at the website www.tenders.gov.in and www.govtpressmp.nic.in.

3. In all respects complete tender document must received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on 6th June, 2012 and the Envelope 'A' of Technical tender will be opened on the same day i.e. 6th June, 2012 at 15.00 hours in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

(235-A)

भोपाल, दिनांक 4 मई, 2012

(प्रेस आर्टिकल्स)

क्र. जी.बी. चार/पी. (1) 2012-13/1634.—मध्यप्रदेश शासन के विभागों के मुद्रण कार्य हेतु उपयोग में आने वाले प्रेस रॉ-मैटीरियल क्रय हेतु सीधे निर्माता या उनके अधिकृत एजेन्ट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से मुहरबंद तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा (पृथक्-पृथक् लिफाफों में) आमंत्रित की जाती है।

2. मध्यप्रदेश शासन के वेबसाइट www.tenders.gov.in. एवं www.govtpressmp.nic.in. पर टेण्डर फॉर्म एवं निविदा की शर्तें एवं अनुबंध का प्रारूप उपलब्ध है।

3. टेण्डर फॉर्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 8 जून, 2012 को कार्यालयीन समय अपराह्न 1.00 बजे तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जानी होंगी. निविदा का टेक्निकल टेण्डर (Technical Tender) उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक 8 जून, 2012 को अपराह्न 3.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

(236)

Bhopal, dated 04th May, 2012

(Printing Articles)

No. GB-IV-P.(1)2012-13/1634.—Sealed Tenders Technical & Commercial (seperately) are invited for the supply of Printing Raw-materials which has to be used for the different Printing works for the department of Madhya Pradesh Government from manufacturers, their representative or dealer/distributors.

2. The details of the tender documents and the draft of the agreement are available at the website www.tenders.gov.in. and www.govtpressmp.nic.in.

3. In all respects complete tender document must received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on 8th June, 2012 and the Envelope 'A' of Technical tender will be opened on the same day i.e. 8th June, 2012 at 15.00 hours in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

HEERALAL TRIVEDI,

Controller,

Govt. Printing and Stationery,

Madhya Pradesh, Bhopal.

(236-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी / रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, कटनी, जिला कटनी

(प्रारूप-चार)

प्र. क्र. 01/बी-113 (1)/2011-2012.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) 95 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1962 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि श्री राकेश कुमार बाजपेई पिता श्री अंबिका प्रसाद बाजपेई, अध्यक्ष, जय माई काली धाम ट्रस्ट, विश्राम बाबा, कटनी द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है

के सम्बन्ध में आपत्ति दावा पेश करना चाहते हैं तो वह इस नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के पश्चात्/उपरान्त प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल / अचल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	जय माई काली धाम ट्रस्ट
ट्रस्ट का पता	जय माई काली धाम, विश्राम बाबा, कटनी, जिला कटनी (मध्यप्रदेश)
चल सम्पत्ति	ट्रस्ट के पास- पाँच घण्टे बड़े पीतल के, पाँच दान पेटी लोहे की, बिजली पंखे (सीलिंग), चार एम्प्लीफायर, सी.डी. प्लेयर, 2 बाक्स बड़े, दो ट्रंक बड़े, एक छोटा ट्रंक, दीवाल घड़ी 3, लोहे का बड़ा स्टूल, दो साउण्ड चोंगा, दो मुकुट चाँदी के, एक चाँदी का छत्र बड़ा, दो चाँदी के छत्र छोटे, दो चाँदी के चूड़े, किचिन सेट एक, गैस चूल्हा, पूजा करने के बर्तन दो नग, स्टील, पीतल, ताम्बा, एक सोने की नथ छोटी, चाँदी की नथ एक छोटी, 15 नग स्टील कलश, एक सोने की बेदी.
अचल सम्पत्ति	ग्राम झिंझरी में विश्राम बाबा मुख्य मार्ग से अन्दर पहाड़ी में काली मंदिर, श्रीराम हनुमान मंदिर, शनिदेव मंदिर, शंकर भगवान, काल भैरव एवं विश्राम बाबा स्थान स्थापित है. यह सभी मंदिर शासकीय भूमि में स्थापित हैं. इसी जगह शहर से अनेक स्थानों से हटाई गई मूर्तियां भी स्थापित हैं.

आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया.

तेजस्वी एस. नायक,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(232)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास, पंजीयक, सोहागपुर, जिला शहडोल

रा. प्र. क्र./बी-113/2011-12.

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास

नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

चूंकि श्री मुरली मनोहर गौतम पिता श्री सिद्धेश प्रसाद गौतम, निवासी वार्ड नम्बर 4, जिला शहडोल मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 9 अप्रैल, 2012 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में कोई हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, गजेन्द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 15 मई, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास का सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम व पता)

लोक न्यास का नाम :- पोनांग मंदिर, वार्ड नम्बर-4, रीवा रोड, सर्किट हाउस के सामने, सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश.

सम्पत्ति का विवरण :-

(अ) चल सम्पत्ति:-

1. सात घण्टे
2. मुकुट चाँदी एक नग
3. नथिया सोने की
4. छोटी बिंदिया सोने की
5. छोटी पायल दो नग चाँदी की
6. दो नग पंखे
7. घडियाल
8. त्रिसूल
9. चैनल गेट
10. चाँदी की मुकुट एक नग
11. दो नग पंखे बिजली का
12. महादेव शंकर जी का मंदिर 4x4 का

(ब) अचल सम्पत्ति:-

20x20 पर पक्का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर लगा हुआ 20x20 पर पक्का, खसरा नम्बर 713, रकबा 3.47 एकड़ नजूल की भूमि पर काली माता मंदिर एवं निर्मित बाउण्ड्री.

गजेन्द्र सिंह,

अनुविभागीय अधिकारी.

(237)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग सीहोर

प्र. क्र. 02/बी-113 (1)/11-12.

गणेश मंदिर ट्रस्ट, दोराहा द्वारा ट्रस्टीगण-

1. श्री हिरेन्द्र श्रीवास्तव आ. शिवरतनलाल
2. श्री महेन्द्र सिंह आ. स्व. बलदेवसिंह
3. श्री सुरेन्द्र सिंह आ. हेमसिंह सिसोदिया

सभी निवासीगण, दोराहा, तहसील व जिला सीहोर.

..... आवेदक

विरुद्ध

सर्व-साधारण

..... अनावेदकगण.

उद्घोषणा-पत्र

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि गणेश मंदिर ट्रस्ट, दोराहा द्वारा ट्रस्टीगण हीरेन्द्र श्रीवास्तव आ. शिवरतनलाल आदि निवासीगण दोराहा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण क्र. 01/बी-113(1)/1985-86 पारित आदेश दिनांक

22 अगस्त, 1988 से ग्राम दोराहा में गणेश मंदिर ट्रस्ट, दोराहा में ट्रस्टीगण क्र. 1 से 3 एवं 7 का निधन हो जाने से पद रिक्त होना बताया गया है तथा उक्त ट्रस्ट की कृषि भूमि रकबा 4.661 है. गणेश मंदिर न्यास के स्वामित्व की भूमि होना जिससे संचालन मंदिर की पूजा व्यवस्था एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिये तथा मंदिर की सुरक्षा के लिये रिक्त ट्रस्टीगण की पूर्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है. गणेश एवं उससे लगा हुआ शंकर मंदिर एवं हनुमान जी का मंदिर भी इस भूमि पर स्थित है. उक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति के लिये दिनांक 4 नवम्बर, 2011 को बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित किया जाकर उक्त प्रस्ताव में नवीन न्यासीगण जिनके नाम निम्नानुसार हैं, सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है—

1. राकेश शर्मा आ. रामदयाल शर्मा
2. अवध बिहारी शर्मा आ. मुंशीलाल शर्मा
3. चिरोजीलाल यादव आ. प्रभूलाल यादव
4. सुनील सिंह कुशवाह आ. स्व. चद्रीनारायण कुशवाह

समस्त निवासी ग्राम दोराहा, तहसील श्यामपुर के नाम नये ट्रस्टीगण के रूप में ट्रस्ट में जोड़े जाने का अनुरोध किया गया है.

उक्त आवेदन-पत्र के संबंध में इस न्यायालय में दिनांक 6 जून, 2012 को सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई है. उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह उद्घोषणा के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक, अधिकृत मुख्याय के माध्यम से अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. निश्चित अवधि उपरांत प्राप्त होने वाली आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा.

आज दिनांक 2 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

इच्छित गढ़पाले,
पंजीयक.

(238)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट” कार्यालय 238, गीता नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री मनीष सोनी पिता नवरंग सोनी निवासी 238, गीता नगर, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट”
पता :	238, गीता नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश
अचल सम्पत्ति :	निरंक
चल सम्पत्ति :	रुपये 1,100/- (अक्षरी रुपये एक हजार, एक सौ मात्र)

आज दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(238)

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“अंजूमन-ए-जमाली दाऊदी बोहरा जमात, अम्मार नगर, इन्दौर” कार्यालय बोहरा मस्जिद केम्पस, 441-443, अम्मार नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक श्री फखरुउद्दीन अकबर अली जावरावला, पता 488, अम्मार नगर, धार रोड, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“अंजूमन-ए-जमाली दाऊदी बोहरा जमात, अम्मार नगर, इन्दौर”
पता :	बोहरा मस्जिद केम्पस, 441-443, अम्मार नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश
अचल सम्पत्ति :	निरंक
चल सम्पत्ति :	रुपये 5,152/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार एक सौ बावन मात्र)

आज दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(238-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“भक्त शिरोमणी माँ गौरी शारदा पारमार्थिक एवं धार्मिक आश्रम ट्रस्ट” कार्यालय 27, गंगादेवी नगर, बीसीएम हाईट के पीछे, विजय नगर, इन्दौर की ओर से आवेदक श्री राम पिता मनोहरलाल साहू निवासी 37, शाकम्बरी एवेन्यु, राज कॉलेज के पास, काका पेट्रोल पम्प के पीछे, अरविन्दो हॉस्पिटल एरिया, साँवेर रोड, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“भक्त शिरोमणी माँ गौरी शारदा पारमार्थिक एवं धार्मिक आश्रम ट्रस्ट”
पता :	27, गंगादेवी नगर, बीसीएम हाईट के पीछे, विजय नगर, इन्दौर
अचल सम्पत्ति :	निरंक
चल सम्पत्ति :	रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दो हजार मात्र)

आज दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(238-B)

वंदना पराशर,
रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 341, दिनांक 6 फरवरी, 2007 के द्वारा सितारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 899, दिनांक 23 अप्रैल, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुशील पुरोहित को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(233)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 2681, दिनांक 15 जुलाई, 2011 के द्वारा बरकत उल्लाह गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 453, दिनांक 18 जुलाई, 1985 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. सोनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(233-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 2436, दिनांक 24 जून, 2011 के द्वारा आकृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक DRB/991, दिनांक 20 जनवरी, 2004 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री के. सी. जैन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(233-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 2217, दिनांक 20 अगस्त, 2001 के द्वारा मार्टिन महिला प्रा. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 734, दिनांक 3 सितम्बर, 1994 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री दिनेश कुमार शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(233-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 3215, दिनांक 11 अगस्त, 2011 के द्वारा न्यू अमर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 849, दिनांक 27 अप्रैल, 2000 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. सोनी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(233-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 2692, दिनांक 15 जुलाई, 2011 के द्वारा अंकित धारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 619, दिनांक 2 जनवरी, 1995 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एन. वर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(233-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 2445, दिनांक 24 जून, 2011 के द्वारा शिव शक्ति शास./अर्ध शास. कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 1076, दिनांक 4 जनवरी, 2006 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डी. एस. चंदेल को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(233-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 1660, दिनांक 27 जुलाई, 2009 के द्वारा त्रिलिंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 163, दिनांक 23 जनवरी, 1980 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. एन. वर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(233-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 2431, दिनांक 24 जून, 2011 के द्वारा समिन्न गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 942, दिनांक 31 जुलाई, 2003 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमति सुविता को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

के. के. द्विवेदी,
उप-पंजीयक.

(233-H)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

माँ अंजनी महिला स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., ब्यावरा, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 30, राजगढ़, दिनांक 2 जून, 2004 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1536, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एच. के. शाक्यवार, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा माँ अंजनी महिला स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., ब्यावरा जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-R)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

मृत्युन्जय स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., सारंगपुर, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 31, राजगढ़, दिनांक 2 जून, 2004 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1532, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा मृत्युन्जय स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., सारंगपुर, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-S)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

अंजनी महिला स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., सुठालिया, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 32, राजगढ़, दिनांक 2 जून, 2004 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1538, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एच. के. शाक्यवार, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा अंजनी महिला स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., सुठालिया, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-T)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

जीरापुर चर्मकार स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., नाईहेडा, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 36, राजगढ़, दिनांक 23 फरवरी, 2005 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1511, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. व्ही. गुप्ता, उप-अंकेक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा जीरापुर चर्मकार स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., नाईहेडा, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-U)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

सारंगपुर चर्मकार स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., लीमाचौहान, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 37, राजगढ़, दिनांक 23 फरवरी, 2005 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1529, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है. समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ. अतः मैं आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा सारंगपुर चर्मकार स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., लीमाचौहान, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226-V)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

पचोर चर्मकार स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., पाडल्या अंजना, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 39, राजगढ़, दिनांक 28 फरवरी, 2005 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1534, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एच. के. शाक्यवार, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ। अतः मैं आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा पचोर चर्मकार स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., पाडल्या अंजना, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(226-W)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

नरसिंहगढ़ चर्मकार स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., सराना, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 40, राजगढ़, दिनांक 28 फरवरी, 2005 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1512, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री सुनील सक्सेना, उप-अंकेक्षक को समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ। अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा नरसिंहगढ़ चर्मकार स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., सराना, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(226-X)

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत]

खिलचीपुर चर्मकार स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., दौलाज, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़, पंजीयन क्रमांक 41, राजगढ़, दिनांक 28 फरवरी, 2005 है, को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1517, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री जी. डी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा सहकारिता की लेनदारियों व देनदारियों का निराकरण कर लिया जाकर अंतिम लेखा प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। समापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं सहकारिता के परिसमापन की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ। अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारिता संस्थाएं, जिला राजगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (3 व 4) के अन्तर्गत समापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा विवरण का अनुमोदन करते हुए, समापक को उन्मोचित करता हूँ तथा खिलचीपुर चर्मकार स्वायत्त साख सहकारिता मर्या., दौलाज, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ को विघटित करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(226-Y)

आर. एस. गौर,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/289.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लसुडियामेहा, तहसील गुलानो, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 661, दिनांक 22 सितम्बर, 1995 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/11/970, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था से कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मार्च, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(227)

शाजापुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/290.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दमदम, तहसील नलखेडा, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 814, दिनांक 28 मार्च, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/11/971, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था से कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मार्च, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(227-A)

शाजापुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/291.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मगरानियां, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 746, दिनांक 18 अक्टूबर, 2000 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/11/781, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था से कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मार्च, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(227-B)

शाजापुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/292.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, निपानिया हिस्सामुद्दीन, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 1007, दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/11/974, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था से कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मार्च, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(227-C)

शाजापुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/293.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बर्दारवाजी, तहसील बड़ौदा, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 815, दिनांक 28 मार्च, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/11/1027, दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था से कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मार्च, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(227-D)

आर. के. मालवीय,
उप-आयुक्त (सहकारिता).

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र.व दिनांक
1	2	3	4
1.	वीरांगना अवन्ती बाई ईंधन सहकारी समिति मर्या., सागर	1171/01-03-2005	2780/12-09-2011
2.	ईंधन सहकारी समिति मर्या., बाघराज सागर	1180/22-02-2005	2781/12-09-2011
3.	जयगंगे ईंधन सहकारी समिति मर्या., सूबेदार वार्ड, सागर	1051/31-05-2003	2794/12-09-2011
4.	बालाजी ईंधन सहकारी समिति मर्या., पंतनगर वार्ड, सागर	1052/09-06-2003	2795/12-09-2011
5.	माँ हरिसिद्धि ईंधन सहकारी समिति मर्या., सिविल लाईन, सागर	1055/17-03-2003	2796/12-09-2011
6.	जय हरिसिद्धि देवी ईंधन सहकारी समिति मर्या., काकागंज, सागर	1018/21-01-2003	2797/12-09-2011
7.	नवदुर्गा ईंधन सहकारी समिति मर्या., केशवगंज, सागर	1037/12-03-2003	2798/12-09-2011

1	2	3	4
8.	राजीवगांधी ईंधन सहकारी समिति मर्या., बरियाघाट, सागर	1046/24-03-2003	2799/12-09-2011
9.	पिछड़ा वर्ग ईंधन सहकारी समिति मर्या., गांधी चौक, सागर	1155/09-09-2004	2800/12-09-2011
10.	सन्मति ईंधन सहकारी समिति मर्या., तिलकगंज, सागर	1157/14-09-2004	2801/12-09-2011
11.	निवेदिता ईंधन सहकारी समिति मर्या., परकोटा, सागर	1170/01-02-2005	2802/12-09-2011
12.	16वीं वाहिनी महिला कल्याण सहकारी संस्था मर्या., मकरोनिया, सागर	742/15-12-1998	2805/12-09-2011
13.	अनमोल ज्योति महिला विकास सहकारी समिति मर्या., बल्लभनगर, सागर	942/25-09-2002	2806/12-09-2011
14.	बाल्मीकि ईंधन सहकारी समिति मर्या., बल्लभनगर, सागर	966/28-09-2002	2813/12-09-2011
15.	लक्ष्मी ईंधन सहकारी समिति मर्या., गंभीरिया	1323/05-11-2008	2815/12-09-2011
16.	पिछड़ा वर्ग फर्नीचर उद्योग सह. समिति मर्या., सागर	324/27-12-1980	2816/12-09-2011
17.	श्री कृष्ण ईंधन सहकारी समिति मर्या., संतकवरराम वार्ड, सागर	1225/24-06-2009	2820/12-09-2011
18.	सशक्त ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मधुकर शाह वार्ड, सागर	1217/31-12-2005	2821/12-09-2011
19.	शिवांगी ईंधन सहकारी समिति मर्या., चकराघाट, सागर	1056/17-07-2003	2827/12-09-2011
20.	महिला विकास सहकारी समिति मर्या., परकोटा, सागर	1218/31-12-2005	2830/12-09-2011
21.	पूजा महिला विकास सहकारी समिति मर्या., सूबेदार वार्ड, सागर	1113/26-04-2004	2831/12-09-2011
22.	श्री माया ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मोतीनगर, सागर	967/28-09-2002	2836/12-09-2011
23.	माँ भवानी ईंधन सहकारी समिति मर्या., शिवाजी नगर, सागर	964/28-09-2002	2837/12-09-2011
24.	महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., पुरव्याड, सागर	963/28-09-2002	2838/12-09-2011
25.	ईंधन सहकारी समिति मर्या., गोपालगंज, सागर	962/28-09-2002	2839/12-09-2011
26.	कस्तूरबा गांधी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., विवेकानंद वार्ड, सागर	961/28-09-2002	2840/12-09-2011
27.	महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सिरोंजा	927/17-09-2002	2841/12-09-2011
28.	मिलन ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., शाहपुर	958/28-09-2002	2842/12-09-2011
29.	ईंधन सहकारी समिति मर्या., तुलसीनगर, सागर	950/27-09-2002	2843/12-09-2011
30.	सैनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर	26/19-02-1982	2844/12-09-2011
31.	सुभाष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर	19/24-02-1963	2845/12-09-2011
32.	कृषि उद्यान सहकारी समिति मर्या., सागर	248/30-03-1971	2846/12-09-2011
33.	कृष्णगंज महिला प्रा. उपभो. सह. भण्डार मर्या., सागर	562/14-02-1994	2856/12-09-2011
34.	रानी रूपमती महिला प्रा. उपभो. सह. भण्डार मर्या., सागर	560/11-01-1994	2857/12-09-2011
35.	सरोजनी नायडू महिला प्रा. उपभो. सह. भण्डार मर्या., सागर	554/22-07-1993	2858/12-09-2011
36.	अ. जा. महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सागर	547/30-06-1993	2859/12-09-2011
37.	लक्ष्मी महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सागर	545/28-06-1993	2860/12-09-2011

1	2	3	4
38.	केण्ट उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सागर	77/04-02-1963	2861/12-09-2011
39.	श्री साईनाथ ईंधन आपूर्ति आनंदनगर सहकारी समिति मर्या., आनंद नगर, सागर	773/12-03-2001	2862/12-09-2011
40.	गंगा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., तिली, सागर	762/11-08-2000	2863/12-09-2011
41.	प्राथमिक ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., इतवारी, सागर	747/13-05-1999	2864/12-09-2011
42.	महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., लक्ष्मीपुरा, सागर	759/05-04-2000	2865/12-09-2011
43.	श्री लक्ष्मी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., रामपुरा, सागर	949/27-09-2002	2866/12-09-2011
44.	प्राथ. मिट्टी तेल आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सागर	574/27-08-1994	2867/12-09-2011
45.	भैसा तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भैसा	573/19-03-1991	2870/12-09-2011
46.	भू. पू. सैनिक मत्स्यो. सहकारी समिति मर्या., पदमाकर नगर, सागर	524/26-10-1991	2876/12-09-2011
47.	सहकारी मछुआ सभा सहकारी समिति मर्या., तालग्वारी	143/18-06-1964	2877/12-09-2011
48.	साग-सब्जी सहकारी समिति मर्या., कुड़ारी	778/25-06-2001	2879/12-09-2011
49.	श्रमजीवी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर	114/27-06-1997	2882/12-09-2011
50.	ईट-खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर	299/30-03-1976	2881/12-09-2011
51.	गुरूदेव ईट-खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर	543/23-06-1963	2884/12-09-2011
52.	अ. जा. महिला बड़ी, पापड़ सहकारी समिति मर्या., गौर नगर, सागर	702/12-08-1997	2804/12-09-2011

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गत वर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 14 नवम्बर, 2011 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 15 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हड्डुआ, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 821, दिनांक 16 मई, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1448, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री के. पी. रैकवार, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, मालथोन द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हड्डुआ, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 821, दिनांक 16 मई, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(234)

सागर, दिनांक 15 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरोदियाकलां, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 980, दिनांक 27 नवम्बर, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1451, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री के. पी. रैकवार, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, मालथोन द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरोदियाकलां, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 980, दिनांक 27 नवम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(234-A)

सागर, दिनांक 15 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

जनजन अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., सागर विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 250, दिनांक 17 फरवरी, 1973 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1715, दिनांक 2 अगस्त, 2000 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री सी. एस. झा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनजन अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 250, दिनांक 17 फरवरी, 1973 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(234-B)

सागर, दिनांक 15 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेलढाना विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1105, दिनांक 01 अप्रैल, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2362, दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री के. पी. रैकवार, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेलढाना विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1105, दिनांक 01 अप्रैल, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(234-C)

सागर, दिनांक 15 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., महराजपुर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 872, दिनांक 16 जुलाई, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1528, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री के. पी. रैकवार, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., महराजपुर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 872, दिनांक 16 जुलाई, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(234-D)

सागर, दिनांक 15 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मड़ावन पायक विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1184, दिनांक 1 मार्च, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1450, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री के. पी. रैकवार, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, मालथोन द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अरूण कुमार मिश्र, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मड़ावन पायक विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1184, दिनांक 1 मार्च, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(234-E)

अरूण कुमार मिश्र,

उप-पंजीयक.

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT
MADHYA PRADESH, INDORE BENCH
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION
COMPANY APPLICATION/PETITION NO. 13 OF 2012

In the matter of the Companies Act,
1956 (1 of 1956);

AND

In the matter of Sections 391 to 394
read with Sections 100 to 103 of the
Companies Act, 1956;

AND

In the matter of Scheme of
Amalgamation

_of

Bhaskar Multinet Limited ("BML" or
"Transferor Company" or Applicant No. 1)

WITH

Bhaskar Infrastructure Limited ("BIL" or
"Transferee Company" or Applicant No. 2)

AND

their respective Shareholders and
Creditors

BHASKAR MULTINET LIMITED, a company)
incorporated under the provisions of the Companies)
Act, 1956 and having its registered office at 4/54,)
Press Complex, A.B.Road, Indore - 452 008.)Applicant No.1

BHASKAR INFRASTRUCTURE LIMITED, a)
company incorporated under the provisions of the)
Companies Act, 1956 and having its registered)
office at 4/54, Press Complex, A.B.Road, Indore)
452 008.)
).....Applicant No.2

Applicant No.1 and Applicant No.2 have together been referred to as Applicant Companies

NOTICE CONVENING THE MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS, PREFERENCE SHAREHOLDERS AND UNSECURED CREDITORS OF BHASKAR MULTINET LIMITED AND BHASKAR INFRASTRUCTURE LIMITED, THE APPLICANT COMPANIES

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT by order made on the 2nd day of May, 2012, in the above Company Application/Petition, the Hon'ble High Court of Judicature at Madhya Pradesh, Indore Bench, has directed that separate meetings of the Equity Shareholders, Preference Shareholders and Unsecured Creditors of Bhaskar Multinet Limited, the Applicant No. 1 and Bhaskar Infrastructure Limited, the Applicant No. 2 be convened for the purpose of considering and if thought fit, approving, with or without modification(s), the proposed amalgamation embodied in the Scheme of Amalgamation between Bhaskar Multinet Limited and Bhaskar Infrastructure Limited and their respective Shareholders and Creditors ('the Scheme' or 'this Scheme').

In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that the meeting of the equity shareholders of the Applicant No. 1 will be convened and held at 4/54, Press Complex, A.B.Road, Indore - 452 008 on Saturday, the 9th day of June, 2012 at 11:00 am at which place, day, date and time the said equity shareholders are requested to attend.

In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that the meeting of the preference shareholders of the Applicant No. 1 will be convened and held at 4/54, Press Complex, A.B.Road, Indore-452 008 on Saturday, the 9th day of June, 2012 at 12.00 noon at which place, day, date and time the said preference shareholders are requested to attend.

In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that the meeting of the unsecured creditors of the Applicant No. 1 will be convened and held at 4/54, Press Complex, A.B.Road, Indore - 452 008 on Saturday, the 9th day of June, 2012 at 1.00 pm at which place, day, date and time the said unsecured creditors are requested to attend.

In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that the meeting of the equity shareholders of the Applicant No. 2 will be convened and held at 4/54, Press Complex, A.B.Road, Indore - 452 008 on Saturday, the 9th day of June, 2012 at 02:00 pm at which place, day, date and time the said equity shareholders are requested to attend.

In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that the meeting of the preference shareholders of the Applicant No. 2 will be convened and held at 4/54, Press Complex, A.B.Road, Indore - 452 008 on Saturday, the 9th day of June, 2012 at 03:00 pm at which place, day, date and time the said preference shareholders are requested to attend.

In pursuance of the said Order and as directed therein, further notice is hereby given that the meeting of the unsecured creditors of the Applicant No. 2 will be convened and held at 4/54, Press Complex, A.B.Road, Indore- 452 008 on Saturday, the 9th day of June, 2012 at 04:00 pm at which place, day, date and time the said unsecured creditors are requested to attend.

Copies of the Scheme, Statement under Section 393 of the Companies Act, 1956, Form of proxy can be had free of charge at the Registered Office of the Applicant Companies at 4/54, Press Complex, A.B.Road, Indore - 452 008 and/ or the office of its advocates, Pankaj Bagadiya, 201-202-, D. M. Tower, 21/1, Race Course Road, Indore - 452 003 during ordinary business hours on all working days, except Sundays.

Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy provided that a proxy in the prescribed form duly signed by the persons entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the applicant companies at 4/54, Press Complex, A.B.Road, Indore- 452008, not later than 48 hours before the meeting.

The Hon'ble High Court of Judicature at Madhya Pradesh, Indore Bench has appointed Mr. Vijayesh Atre, and failing him, Mr. H.Y. Mehta to be the Chairman of the said Meeting.

The above-mentioned scheme, if approved by the Equity Shareholders, Preference Shareholders and Unsecured Creditors in their respective meetings of the respective Applicant Companies will be subject to subsequent approval of the Court.

Dated this day of May, 2012

Place: Indore

Vijayesh Atre,

Chairperson appointed for the meeting.

(34-B.)

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ के समक्ष

(मूल कम्पनी क्षेत्राधिकार)

कम्पनी याचिका (आवेदन) क्र. 12/2012

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-391 के मामले में

एवं

केटी-टी कंस्ट्रक्शन्स (इंडिया) लिमिटेड, कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एवं कल्याण होल्डिंग्स प्रायवेट लिमिटेड के मध्य प्रबंध योजना के मामले में

एवं

के मामले में:

केटी-टी कंस्ट्रक्शन्स (इंडिया) लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 15/3, मनोरमागंज, इन्दौर-452 001

याचिकाकर्ता क्र. 1/अंतरक

कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय विद्या दीप, 15/3, मनोरमागंज, इन्दौर-452 001

याचिकाकर्ता क्र. 2/अंतरिती क्र. 1

कल्याण होल्डिंग्स प्रायवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निगमित एक कम्पनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 15/3, मनोरमागंज, इन्दौर-452 001

याचिकाकर्ता क्र. 3/अंतरिती क्र. 2

प्रतिभूत व अप्रतिभूत लेनदारों एवं साधारण अंशधारियों की बैठक बुलाने हेतु सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ ने आदेश दिनांक 2 मई, 2012 के द्वारा याचिकाकर्ता क्र. 1 व 2 कम्पनियों के साधारण अंशधारियों, प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत लेनदारों की बैठकों को बुलाये जाने हेतु निर्देश दिया है, ताकि कम्पनी द्वारा प्रस्तावित प्रबंध योजना पर विचार करें और यदि उचित हो तो परिवर्तन के साथ या अन्यथा, उपरोक्त प्रबंध योजना का अनुमोदन किया जा सके।

उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में एवं उसमें निर्देशित, एतद्वारा आगे सूचित किया जाता है कि याचिकाकर्ता कम्पनियों की साधारण अंशधारियों, प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर शनिवार, 23 जून, 2012 पर की जायेगी, जिसमें उनसे निम्नानुसार समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिये प्रार्थना की जाती है:

केटी-टी कंस्ट्रक्शन्स (इंडिया) लिमिटेड

बैठकों का विवरण	दिनांक	समय	स्थान
साधारण अंशधारियों की बैठक	23-6-2012	सुबह 10.30 बजे	15/3, मनोरमागंज, इन्दौर-452 001
प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक	23-6-2012	सुबह 11.30 बजे	15/3, मनोरमागंज, इन्दौर-452 001

कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

बैठकों का विवरण	दिनांक	समय	स्थान
साधारण अंशधारियों की बैठक	23-6-2012	दोपहर 12.30 बजे	15/3, मनोरमागंज, इन्दौर-452 001
प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक	23-6-2012	दोपहर 01.30 बजे	15/3, मनोरमागंज, इन्दौर-452 001

उपरोक्त समझौता व प्रबंध एवं धारा-393 के अन्तर्गत विवरण की प्रतिलिपियाँ, कम्पनियों के पंजीकृत कार्यालय या उसके अधिवक्ता श्री विजयेश अत्रे, 304 जे. वी. कॉम्प्लेक्स, रेस कोर्स रोड, इन्दौर-452 001 से निःशुल्क के प्राप्त किये जा सकते हैं.

हकदार व्यक्ति अपनी-अपनी बैठकों में उपस्थित होने व मत देने के लिये, स्वयं या परोक्षी के द्वारा मत दे सकते हैं. परन्तु यह तब जबकि सभी परोक्षी कम्पनियों के पंजीकृत कार्यालय पर निर्धारित प्रारूप में बैठक के 48 घण्टे पहले जमा की जाये. कम्पनियों के पंजीकृत कार्यालय से परोक्षी का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है.

माननीय न्यायालय ने श्री मनोज मुंशी, अधिवक्ता एवं उनके उपलब्ध न होने की दशा में श्री रोहित मंगल, अधिवक्ता को उपरोक्त बैठकों के सभापतियों के रूप में नियुक्त किया है. उपरोक्त वर्णित प्रबंध, यदि बैठकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, माननीय न्यायालय के अनुवर्ती अनुमोदन के अध्यक्षीन होगा.

दिनांक 11 मई, 2012
(35-बी.)

रोहित मंगल,
बैठकों के लिये नियुक्त सभापति

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF SURNAME

I, Raveesh Bapna here by declare that I have changed my name as Raveesh Bafna so, from now and in future. I, will be known by my new name.

Old Name :

(Raveesh Bapna)

New Name :

(Raveesh Bafna)

Sakar Residency,

Flat No. 603, "MANOR" Block,

Scheme No. 54, PU 3, Indore 452 011.

(36-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम, उपनाम सहित भूपेन्द्र सिंह भामरा (BHUPENDRA SINGH BHAMRA) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम भूपेन्द्र सिंह (BHUPENDER SINGH) हो गया है. अतः अब मुझे अपने नये नाम भूपेन्द्र सिंह (BHUPENDER SINGH) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(भूपेन्द्र सिंह भामरा)

(BHUPENDRA SINGH BHAMRA)

(37-बी.)

नया नाम :

(भूपेन्द्र सिंह)

(BHUPENDER SINGH)

पता:- बी-15, सागर रॉयल विलास,
सुरेन्द्र लैण्ड पार्क के पीछे,
होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम नीलू था, जिसमें अपना उपनाम जोड़कर नीलू पुर्सनानी कर लिया है. अतः मुझे नीलू पुर्सनानी लिखा पढ़ा जावे.

Old Name :

(NEELU)

(38-B.)

New Name :

(NEELU PURSNANI)

29/13, South Tukoganj,
Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम सुनील कुमार मालविया था, जिसमें अपना उपनाम हटाकर सुनील कुमार कर लिया है. अतः मुझे सुनील कुमार लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(सुनील कुमार मालविया)

(39-बी.)

नया नाम :

(सुनील कुमार)

इटारसी, जिला-होशंगाबाद (म.प्र.).



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2012-वैशाख 28, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 1 फरवरी, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा तथा राज्य के कुछ ही जिलों में वर्षा हुई है. जो निम्नानुसार है:—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील दमोह, पटेरा (दमोह), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), भैंसदेही, आठनेर (बैतूल), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), गाडरवारा, करेली, गोटेगांव, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील आमला (बैतूल), जबलपुर (जबलपुर), नरसिंहपुर (नरसिंहपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील कोतमा (अनूपपुर), घोड़ाडोंगरी, चिचोली, बैतूल, मुलताई (बैतूल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील जेतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला शहडोल, प. निमाड़ में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—

4. फसल स्थिति.— जिला छिन्दवाड़ा में फसल चने में कहीं-कहीं इल्लियों का प्रभाव है.
5. कटाई.—जिला दमोह व भोपाल में फसल तुअर व सीहोर में चना तथा बैतूल में गन्ना, तुअर की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, सतना, शहडोल, झाबुआ में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 1 फरवरी, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (व) कटौत हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) बाजरा, सोयाबीन, राई-सरसों, गेहूँ समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह .. 2. पोरसा .. 3. मुरैना .. 4. जौरा .. 5. सबलगढ़ .. 6. कैलारस
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर .. 2. कराहल .. 3. विजयपुर
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर .. 2. भिण्ड .. 3. गोहद .. 4. मेहगांव .. 5. लहार .. 6. मिहोना .. 7. रौन
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. तिल कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर .. 2. डबरा .. 3. भितरवार .. 4. घाटीगांव
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कोलारस .. 7. पोहरी .. 8. बदरवास

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाहौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) गन्ना, तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, प्याज अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, जौ, अलसी, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज सुधरी हुई.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. अरहर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	1.1				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटारा	2.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, अलसी सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिहपुर	..				
*जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. त्योंथर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सिरमौर	..		(2) ..		
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		(2) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जैतहरी	75.0		4. (1) अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर अधिक. अरहर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	85.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	53.0				
4. पुष्परजगढ़	141.1				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बांधवगढ़	9.7		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों, अलसी अधिक. मसूर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	8.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . . (2) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, गेहूँ, जौ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
*जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . . (2) . . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, राई-सरसों, चना अधिक. ज्वार, तुअर समान. (2) . . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. अलसी समान. (2) . . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . . (2) सोयाबीन, मक्का समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . . (2) गेहूँ, चना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर, आलू समान. (2) . . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, आलू अधिक. चना, जौ कम. मूँग समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) कपास, गेहूँ, चना समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. कपास, मूँगफली कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास, सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगोन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्तान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गन्ना, कपास, गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .				
2. ठीकरी	. .				
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला पूर्ण-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .				
2. पंधाना	. .				
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .				
2. खकनार	. .				
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) मसूर, गेहूँ, मटर, राई-सरसों अधिक. गन्ना, चना कम. तुअर समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .				
2. खिलचीपुर	. .				
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मसूर, लाख, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .				
2. सिरोंज	. .				
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर अधिक. मक्का कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .				
2. हुजूर	. .				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना अधिक. कपास कम. गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी, जौ समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .				
2. श्यामपुर	. .				
3. आष्टा	. .				
4. जावर	. .				
5. इछावर	. .				
6. नसरुल्लागंज	. .				
7. बुधनी	. .				
8. रेहटी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, लाख, सरसों, अलसी, गन्ना.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) . .		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना एवं तुअर की कटाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	15.4		4. (1) गेहूँ कम. चना, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	42.6		(2) . .		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	35.0				
5. बैतूल	43.6				
6. मुलताई	38.2				
7. आठनेर	11.8				
8. आमला	18.0				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर सुधरी हुई.		
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) गेहूँ समान.		
3. टिमरनी	..				
4. हण्डिया	..				
5. सिराली	..				
6. रेहटगांव	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	5.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	10.4		(2) गेहूँ, अलसी, ज्वार सुधरी हुई.		
3. जबलपुर	22.2				
4. मझौली	8.0				
5. कुण्डम	4.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर समान.		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	2.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	7.0		(2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	31.0		मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना,		
4. गोटेगांव	2.0		मटर समान.		
5. तेन्दूखेड़ा	12.0				
*जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. निवास	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. बिछिया	..		(2) ..		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) तुअर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		चना, मसूर, अलसी, मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) ..		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. चने की फसल में कहीं- कहीं इल्लियों का प्रभाव.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर,	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..		कपास समान.		
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. मोहखेड़ा	..				
11. हरई	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सिवनी	..		4. (1) अलसी अधिक. गेहूँ, चना, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		मटर, मसूर, राई-सरसों कम.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	..		(2) ..		
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख,	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	..		तिवड़ा समान.		
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला गुना, रीवा, सिंगरौली, मण्डला से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(231)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.